पुलिस विभाग जिला–अजमेर

।।प्रेस नोट दिनांक14.08.2017।।

–: प्रेसनोट :– दिनांक 14.08.17

चोर गेंग का खुलासा आरोपी गिरफ्तार

दर्जनों चोरी/नकबजनी की वारदात का खुलासा

पुलिस थाना किश्चनगंज में पुलिस अधीक्षक अजमेर राजेन्द्र सिंह चौधरी के निर्देशानुसार गत दिनों शहर में हुई चोरियों के सम्बन्ध में थानाधिकारी क्रि0गंज विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व मय थाना स्टॉफ कुन्दन सिंह एएसआई, तेजाराम हैड कानि0, शंकर लाल कानि0, गोपालसिंह कानि0 व विजयसिंह

उ.नि. मय मनोज सउनि, मनोहर सिंह हैड कानि0 व रतन सिंह कानि0 स्पेशल टीम अजमेर की सयुक्त टीम गठित की जाकर माल मुल्जिमान की तलाश सरगर्मी से आरम्भ की गई। दौराने तलाश पूर्व का शातिर नकबजन **सद्दीक खान पुत्र गोमा जाति चीता उम्र 22 साल निवासी सेन्ट स्टीफन स्कूल के पास सी ब्लॉक पंचशील नगर अजमेर** पर संदेह होन पर तलाश की गई। जिसकी सूचना मिलने पर आज दिनांक 14.08.17 को सोमलपुर रोड़ पर से चोरी गई डस्टरगाड़ी सहित दस्तयाब किया गया। जिससे पूछताछ की तो स्वंय द्वारा रात्रि को स्टीफन तिराहा से ताला तोड़ कर गैरेज में से डस्टर कार नम्बर आर जे 27 सी ई 0021 चोरी करना स्वीकार किया है। जिसे गिरफ्तार किया जाकर डस्टर कार को बराबद किया गया। पूछताछ करने पर आरोपी ने अन्य साथी की भी संलिप्ता बताई है जिसकी तलाश जारी है।पूछताछ से मुल्जिमान से गत दिनांक 11.08.17 को स्टीफन तिराहा पर हुई दुकानों ज्युस सेन्टर, किराणा स्टोर व सब्जी की दुकान पर चोरी करना स्वीकार किया है तथा पूर्व में पंचशील नगर में हुई दो–तीन घरों में चोरी करना स्वीकार किया है। जिनसे पूछताछ जारी है।

पंचशील में हुई नकबजनी में दुसरा आरोपी गिरफ्तार

पंचशील में गत दिनों मॉल के पास हुई नकबजनी में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सद्दीक की निशादेही से आरोपी **जहॉगीर खान उर्फ पठान पुत्र हिमायत खान उम्र 21 साल निवासी नवाब का बेड़ा डिग्गी बाजार अजमेर** को गिरफ्तार किया गया है। इस वारदात में अभियुक्त सद्दीक भी शामिल था। पूछताछ के दौरान गिरफ्तारशुदा अभियुक्तण सद्दीक व जाकिर हुसैन से कई अन्य वारदात का खुलासा होने की संभावना है। आरोपी सद्दीक पूर्व में डकैती की योजना व नकबजनी की कई प्रकरणों में पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है। जो कि कुछ दिन पूर्व ही जमानत पर रिहा होकर बाहर आया है।

स्थायी वारण्टी दम्पति गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार पैण्डिंग स्थायी वारण्टी/299 सीआरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफतारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना हाजा पर पैण्डिंग स्थायी वारण्टी दुर्गाप्रसाद वर्मा पुत्र रामजीदास वर्मा निवासी सी–87 चन्द्रबरदाईनगर थाना रामगंज अजमेर व उसकी पत्नी शकुंतला वर्मा पत्नि दुर्गा प्रसाद वर्मा निवासी सी–87 चन्द्रबरदाई नगर थाना रामगंज अजमेर के संबध मे थानाधिकारी को उक्त दोनो के नोयडा मे होने की सूचना मिलने पर थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन मे निरंजन सिंह व संदीप कुमार की टीम बनाकर रवाना की जिस पर उक्त टीम द्वारा उक्त

दम्पति के नोयडा स्थित निवास स्थान पर दबिश देकर दोनो को आज दिनांक 14.08.17 को गिरफ्तार किया गया। उक्त दम्पत्ति के 138 एनआई एक्ट के तहत चैक अनादरण के विभिन्न न्यायालयों से स्थायी वारण्ट जारी हो रखे है जिसमे थाना रामगंज पर 7 स्थायी वारण्ट है। उक्त दम्पति अजमेर से अपना मकान बेचकर लंबे अर्से से फरार चल रहे थे।

एक ओर स्थायी वारण्टी गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार पैण्डिंग स्थायी वारण्टी/299 सीआरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफतारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी अजयकांत पुनि थानाधिकारी रामगंज के निर्देशन मे थाना हाजा पर पैण्डिंग स्थायी वारण्टी नत्थू लाल मुन्नालाल पुत्र शंकरलाल उर्फ सरदार निवासी 145/7 पांच दुकान जटिया बस्ती गांधीनगर पहाडगंज अजमेर को आज दिनांक 14.08.17 को गिरफ्तार किया गया।

पिछले सात वर्ष से नकबजनी के प्रकरण में फरार स्टेण्डिंग वांरटी

पुलिस थाना क्रिश्चनगंज में पुलिस अधीक्षक अजमेर राजेन्द्र सिंह चौधरी के निर्देशानुसार चलाये गये फरार अपराधियों की धरपकड़ के विशेष अभियान के तहत थाना क्रि0गंज पर पिछले सात वर्ष से नकबजनी के प्रकरण में फरार स्टेण्डिंग वांरटी भवानी सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी लोटिया पुलिस थाना सूरजगढ़ जिला झुंझुंनु हाल किरायेदार चामुण्डा कॉलोनी फॉयसागर को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया। जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

` डायन बताकर मारपीट कर हत्या के प्रकरण में पांच गिरफतार

पुलिस थाना केकडीः– प्रकरण संख्या 367/2017 धारा 302,201 भादस एवं 3,4,7 राजस्थान डायन प्रताडना निवारण अधिनियम 2015 में मुल्जिमान 1. श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र किशनलाल जाति रेगर उम्र 19 साल निवासी कारखाना के पास रेगर बस्ती कनेजरी गेट शाहपुरा पुलिस थाना शाहपुरा जिला भीलवाडा 2. महावीर पुत्र रामपाल जाति रेगर उम्र 22 साल निवासी रेगर मौहल्ला कादेडा पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर 3. गोपीचन्द पुत्र उगमा जाति रेगर उम्र 25 साल निवासी रेगर मोहल्ला कादेडा पुलिस थाना

केकडी जिला अजमेर 4 पिंकी पत्नी धर्मराज पुत्री रामपाल उम्र 19 साल जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला कादेडा पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर 5.श्रीमती सोनिया उर्फ सोन्या पत्नी राधाकिशन पुत्री रामनिवास उम्र 19 साल जाति रेगर निवासी रेगर मौहल्ला कादेडा पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को बाद पुछताछ जुर्म धारा 143,147,149,302,201 भादस एवं 3,4,7 राजस्थान डायन प्रताडना निवारण अधिनियम 2015 प्रमाणित पाया जाने पर शंकरलाल उप नि0 द्वारा गिरफ्तार किया गया।

शान्तिभंग के आरोप में 06 गिरफतार

पुलिस थाना केकडी में कैलाश चन्द हैड कानि0 द्वारा नरेन्द्र पुत्र बंषी जाति कंजर उम्र 35 साल निवासी कल्याणपुरा (धुवालिया) पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को शान्तिभंग में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना मसुदा में पर 24 घण्टो मे 1. माहेन पुत्र घीसा जाति मेहरात उम्र 64 साल निवासी उत्तमी थाना मसूदा जिला अजमेर 2. सुलेमान पुत्र बुद्वा जाति मेहरात उम्र 18 साल निवासी उत्तमी थाना मसूदा जिला अजमेर 3. महेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब जाति मेहरात उम्र 60 साल निवासी उत्तमी थाना मसूदा जिला अजमेर 4. छोगा सिंह पुत्र राम जाति मेहरात उम्र 20 साल निवासी बाडिया जग्गा जालिया प्रथम थाना ब्यावर सदर अजमेर 5. करण सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति रावत उम्र 21 साल निवासी चौरसिया थाना मसूदा जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

दुर्घटना में एक युवकी मृत्यु

पुलिस थाना किशनगढ थाना गांधीनगर में आज दिनांक 14.8.2017 को समय करीब 2.00 पी0एम0 पर हरमाडा चौराहा किशनगढ थाना गांधीनगर जिला अजमेर पर टेन्कर नम्बर जी जे 12 बी वी 3282 ने तेजगति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल नम्बर आर जे 14 एच एच 7266 व साईड मे खडे पानी पतासे के थेले के टक्कर मारी जिससे संजय सदा पुत्र चरित्र सदा जाति मुसर उम्र 30 साल निवासी लाहवन थाना भेजा जिला मधुवनी बिहार की मौके पर ही मृत्यु हो गयी है तथा मृतक का भान्जा 01 रामकृष पुत्र बेजू जाति कुशवाह उम्र 7 साल निवासी सेक्टर 58 नोयडा उतरप्रदेश 02 जाकीर पुत्र इरफान जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी रावला थाना बहादुरगंज जिला किशनगन्ज बिहार 03 जयराम पुत्र सुजाराम जाति रेगर उम्र 40 साल निवासी झालरा थाना परबतसर जिला नागौर के एक्सीडेन्ट से चोटे आई है तथा मार्बल गोदाम मे टेन्कर घुसने से मार्बल की थप्पीया व ग्रेनाईट की थप्पीयो मे भी नुकसान हूआ है मृतक की लाश चीरघर वाईएनएच किशनगढ मे रखी गयी है। एव मजरूबो को मार्बल सिटी अस्पताल मे भर्ती करवाया गया है एव दुर्घटना कारित टेन्कर न0 जी जे 12 बी वी 3282 एव मोटरसाइकिल नम्बर आर जे 14 एच एच 7266 को थाना पर लाया जा चुका है

पुलिस थाना मदनगंज में मां भारती रक्षा मंच के अध्यक्ष एडवोकेट विजय पारीक के नेतृत्व मे लगभग 100–110 व्यक्तियों द्वारा वाहन रैली निकाली गयी।

पुलिस थाना मसुदा में 2 कार्यवाही 510 आईपीसी की व 1 कार्यवाही 185 एवीएक्ट में 4 एमवीएक्ट के चालान